फर्द अहकाम

गोविन्द महावर **बनाम** जगदीश प्रसाद

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

..स वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

..या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दावा 19/2025	
	15.01.2025	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 03.02.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	
	03/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। वकीलवादी ने रजिस्टर्ड रसीदे पेश कि जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते शेष की इंतजार तलबी दिनांक 17/2/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनुपस्थित। वादी भी अनुपस्थित। न्यायालय समय-समय में रुक-रुककर आवाजें लगवाई गई परन्तु ना तो वादी के वकील उपस्थित हुए ना ही वादी स्वयं उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	